न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 107/10/दावा

रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र घीसाराम आयु 70 साल जाति रैगर निवासी ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. केसा राम पुत्र घींसा राम जाति बलाई निवासी ग्राम श्यामपुरा (पचार) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति—

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. श्री आनन्द राड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक— 05.10.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजियात ख.नं. 440 रकबा 1.04 है0, 441 रकबा 0.15 है0, 442 रकबा 2.09 है0, 443 रकबा 0.10 है0, 444 रकबा 0.21 है0, 445 रकबा 0.24 है0, 446 रकबा 0.02 है0, 447 रकबा 0.02 है0, 448 रकबा 0.02 है0, 449 रकबा 0.05 है0, 450 रकबा 0.05 है0 किता 11 कुल रकबा 3.99 है0 तन ग्राम नयावास प.मं. मण्ढा(सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाते, कब्जे व काश्त की अविभाजित कृषि भूमियां है। वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमियां वादी की पैत्रिक कृषि भूमि है जिसमें से वादी के भाई चन्द्राराम से उसका 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ने खरीद कर लिया। उक्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे कोश्त की है जिसमें हिस्सा 1/2 वादी का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है तथा इसी अनुसार पक्षकारान अपने अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। विवादित कृषि भूमियां वर्णित वाद पत्र के पैरा सं. 1 का वादी व उसके भाई पूर्व खातेदार चन्द्राराम के बीच आपसी सहमति स्वीकृति से मौके पर बाहमी बंटवारा वर्षो पूर्व कर लिया था जिसके अनुसार वादी का 1/2 हिस्सा विवादित भूमियों में पश्चिम साइड में आया तथा उक्त भूमियों में सिंचाई हेतु शामलाती रूप से निमित कुआ खसरा नं. 446 रकबा 0.02 है. गैर मुमकिन

Scanned by CamScanner

चाह पक्षकारान का शामलाती रहा है जिससे पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आई भूमियों में फसल की सिंचाई कर उपयोग उपभोग में लेते रहे है। आज भी पक्षकारान मौके पर इसी अनुसार काबिज है। विवादित भूमियां वर्णित वाद पत्र के पैरा सं. 1 वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज होने की वजह से प्रतिवादी सं. 1 वादी से रोज लड़ाई झगड़ा करता है तथा वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करने में हस्तक्षेप कर वादी के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने लगा है तथा बार बार कहने पर भी प्रतिवादी सं. 1 विधिवत विभाजन करने से इंकार कर रहा है। उक्त भूमियों को अब शामिल में काश्त किया जाना एक असंभव व दुष्कर कार्य हो गया है इसलिए वादी की ओर से यह विभाजन हेतु वाद नियोजन किया जा रहा है। विवादित भूमियां वर्णित वाद पत्र के पैरा सं. 1 का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन करवाया जाकर वादी का अलग एकांकी खाता कब्जा व अलग लगान निर्धारित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेश में संशोधन करवाया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित भूमियों का विभाजन करवाने से इंकार हो रहा है तथा बिना विभाजन करवाये वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को विवादित भूमियों के पश्चिम साईड में है, के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप कर रहा है तथा सींव नींव खुर्द बुर्द कर अपने 1/2 हिस्से से अधिक वादी के हिस्से की भूमि को बलपूर्वक हड़पने की कोशिश कर रहा है। प्रतिवादी सं. 1 को विवादित भूमियों का बिना बंटवारा करवाये सींव नींव खुर्द बुर्द करने, वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग करने में दखलंदाजी करने, शामलाती कुआ खसरा नं. 446 रकबा 0.02 है0 गै.मु. चाह से सिंचाई में बाधा उत्पन्न करने तथा बिना विभाजन करवाये विवादित भूमियों का रहन बेचान व हस्तांतरण करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अगर प्रतिवादी अपने कपटपूर्ण इरादे में कामयाब हो गया तो वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगा। वादी को भारी असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी कानून में संभव नहीं है। वादी के मूलभूत सांपतिक अधिकारों का हनन होगा तथा अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा। फलस्वरूप प्रतिवादी सं. 1 को विवादित भूमियों का किसी भी प्रकार का हस्तांतरण व प्रलेख तस्दीक करने तथा प्रतिवादी सं. 3 जो विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना प्रार्थनीय है। वाद कारण अर्सा करीब 15 रोज पूर्व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विवादित भूमियों का विधिवत विभाजन करवाने से इंकार होने व वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बलपूर्वक दखलंदाजी कर सींव नींव तोड़ फोड़ करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ तब से ही वाद कारण क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से चालू है। भूमिधारक राज्य सरकार होने की वजह से तहसीलदार, दांतारामगढ को प्रतिवादी सं. 3 व प्रलेख पंजीयक प्राधिकारी होने से प्रतिवादी सं. 2 के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामलाल के स्थान पर रामपाल गलत रूप से दर्ज हो गया है जबकि वादी के राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, विद्युत बिल व अन्य दस्तावेजात में रामलाल दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना प्रार्थनीय है। अंत में यह

Scanned by CamScanner

मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर भूमि ख.नं. 446 रकबा 0.02 है0 प्रतिवादी के हिस्से में सम्मिलित करते हुए उसे 1/2 हक हिस्से का सेपरेट खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें एवं वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि संयुक्त शामलाती खातेदारी की आड़ में कदीमी बाहमी बंटवारे अनुसार कायम की नींव सींव को खुर्द बुर्द करने, प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे काश्त की आराजियात में दखलंदाजी करने, राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती से पूर्व उक्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तांतरण करने से मय परिवारजन, नौकर, एजेंट इत्यादि सदैव के लिए बाज रहे। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ने मौके एवं रिकार्ड के अनुसार अपने अपने हिस्से का विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

3. बहस उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषणगण की सुनी गई। उभय पत्र के योग्य अभिभाषकगण ने मौके एवं रिकार्ड के अनुसार वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामपाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर वकील वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादी का वास्तविक नाम रामलाल है ऐसी स्थिति में दुरूस्ती नहीं की जा सकती है। ग्राम नयाबास प.मं. मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीक़र की जमाबंदी संवत् 2065–68 के ख.नं. 440 ता 450 किता 11 कुल रकबा 3.99 है0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमियां है एवं विवादित आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हक हिस्सा साबित है। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने काउंटर दावा पेश किया है लेकिन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। चूंकि विवादित भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजियात ख.नं. 440 ता 450 किता 11 कुल रकबा 3.99 है. वाके ग्राम नयाबास प.मं. मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर

उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 04.11.2015 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

4. उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात बंटवारा प्रस्ताव पश्चात् अंतिम डिक्री के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 200/– अदा करेंगे। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिनांक 04.11.2015 को पेश हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 05.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 107/10/दावा

रामपाल उर्फ रामलाल पुत्र घीसाराम आयु 70 साल जाति रैगर निवासी ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादी

ब ना म

1. केसा राम पुत्र घींसा राम जाति बलाई निवासी ग्राम श्यामपुरा (पचार) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति—

1. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील वादी की ओर से
2. श्री आनन्द राड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक— 05.10.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

रामपाल उर्फ रामलाल बनाम केसाराम आदि

दावा बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन

मुकदमा नं0 107/दावा/2010 निर्णय दिनांक 05.10.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस बहाजरी श्री भवानीसिंह शेखावत वकील मिनजानिब मुद्दई श्री आनन्द राड़ मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा विवादित आराजियात ख.नं. 440 ता 450 किता 11 कुल रकबा 3.99 है. वाके ग्राम नयाबास प.मं. मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का मौके एवं रिकार्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक, मण्ढा–सुरेरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिकी निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 04.11.2015 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।
4. उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात बंटवारा प्रस्ताव पश्चात् अंतिम डिकी के निस्तारण तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिकी जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 200/– अदा करेंगे। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिनांक 04.11.2015 को पेश हो। बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	2	00			
मीजान	9	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner